आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
04/07/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **नामान्तरण पुनरीक्षण 114 / 1997** **राम लगन महतो बनाम् गोइन्दा उरांव** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–05 / 1993–94 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे हैं। आवेदक की अंतिम उपस्थिति दिनांक–20.07.2015 को दर्ज की गयी थी, जबकि विपक्षी कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, यद्यपि इनके द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था। विगत् 07 वर्षों के अधिक अवधी से यह वाद उभयपक्षों के उपस्थिति एवं सुनवाई के लिये लम्बित है। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। यह विषय खाता नम्बर–04, प्लॉट नम्बर–771, रकबा–1.21 एकड़ ग्राम–भण्डरा के नामान्तरण से संबंधित है। Bihar Tenent Holding (Maintance of Records) Act-1973 के प्रावधानों के अनुसार अंचल अधिकारी, नामान्तरण हेतु मूल प्राधिकार है, जिसके पश्चात् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अपीलीय प्राधिकार घोषित है। धारा–16 के प्रावधानों के अनुसार उपायुक्त पुनरीक्षण प्रावधान के रूप में घोषित है। प्रश्नगत् अधिनियम में कहीं भी द्वितीय पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है। प्रश्नगत् मामले में उपायुक्त, राँची द्वारा पुनरीक्षण वाद में उभयपक्षों की सुनवाई करते हुये विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है। आवेदकों का दावा दिनांक–06.01.1988 को उनके द्वारा निबंधित केवाला से भूमि क्रय पर आधारित है, जबकि विपक्षी का दावा दिनांक–26.08.1985 को किये गये निबंधित केवाला पर आधारित है। हलका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट था कि प्रश्नगत् भूमि पर विपक्षी का ही दखल रहा है। दाखिल–खारिज के मामले में भूमि पर दखल एक सबसे	

अनुसूची 14 – फॉरम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसी आधार पर उपायुक्त, राँची द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया गया है। प्रश्नगत् विषय उभयपक्षों के बीच भूमि के स्वत्व निर्धारण से संबंधित है। जिसका निष्पादन सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा दाखिल–खारिज के मामले में द्वितीय पुनरीक्षण पर सुनवाई करने का कोई प्रावधान भी नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI Date: 2022.08.24 11:50:20 +05:30 Location: 192.168.1.40 **प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची**	
09/06/2022		